फर्द अहकाम

न्यायालय [illegible] कलक्टर [illegible] बनाम [illegible]

मुकदमा संख्या/वर्ष 72/11 172/2017 /20

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	18/11/22	आज दिनांक 18/11/22 को पत्रावली पेश हुई। [illegible] कन्डोनेशन/कार्य [illegible] के कारण आदिक कार्यवाही [illegible] की जा सकती। पी०ओ० अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/12/22 को पेश हो।	
	23/12/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० अपील सं 3 [illegible] 95 [illegible] के अनु० [illegible] इसके [illegible] एक [illegible] कार्यवाही काल में लाई जाती है। वकील [illegible] के बयान न देकर सीधी बहस करने हेतु निवेदन करने पर बहस सुनी गई। पत्रावली पढ़ते आदेश हेतु दिनांक 20/1/23 को पेश है।	
	20/1/23	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] एडवोकेट [illegible] है। पत्रावली [illegible] दिनांक 7/2/23 को पेश है।	
	7/2/23	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] पक्ष उप० [illegible] पत्र 212 RT Act से संबंधित [illegible] बाद स्वीकार का बाद [illegible] होकर [illegible] बाद के अन्तिम [illegible] पारित की जा चुकी है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RT Act का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर [illegible]	